भारत सरकार
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 168
उत्तर देने की तारीख 04 दिसंबर, 2023
सोमवार, 13 अग्रहायण, 1945 (शक)

राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ)

168. श्री दिलीप शइकीया: श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगारे: श्री नारणभाई काछड़िया: श्री रणजितसिंह नाईक निंबालकर: श्री देवजी पटेल: श्री बिद्युत बरन महतो:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) दिसम्बर, 2023 की स्थिति के अनुसार देश के श्रमबल में औपचारिक रूप से कुशल श्रमिकों के प्रतिशत का उद्योग-वार ब्योरा क्या है; और

(ख) क्या युवा पेशेवरों के लिए कौशल प्रशिक्षण को राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) के अनुरूप बनाया जा रहा है?

उत्तर

कौशल विकास और उदयमशीलता राज्य मंत्री
(श्री राजीव चंद्रशेखर)

(क) राष्ट्रीय कौशल विकास और उद्यमशीलता नीति, 2015 के अनुसार, 2014-15 में औपचारिक कौशल रहित कार्यबल की अनुमानित संख्या 29.8 करोड़ थी और इसके लिए कौशल, पुनकौशलीकरण और कौशलोन्नयन की आवश्यकता है और वर्ष 2015-22 के बीच कौशल की आवश्यकता वाले कार्यबल में नए सम्मिलित होने वाले अनुमानित संख्या प्रति वर्ष 1.49 करोड़ थी। इसके अलावा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) की आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) वार्षिक-रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार, व्यावसायिक/तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले 15-59 वर्ष की आयु-वर्ग के व्यक्तियों का प्रतिशत 19.5% था, जिसमें औपचारिक व्यावसायिक/तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले 3.4% शामिल हैं। उसी सर्वेक्षण के अनुसार, प्रशिक्षण के क्षेत्र में औपचारिक व्यावसायिक/तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले 15-59 वर्ष की आयु के व्यक्तियों का प्रतिशत वितरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ख) जी हां, राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढांचा (एनएसक्यूएफ) दिनांक 27 दिसंबर 2013 की राजपत्र अधिसूचना में उल्लेख किया गया है कि कोई भी प्रशिक्षण/शैक्षिक कार्यक्रम/पाठ्यक्रम जो एनएसक्यूएफ नहीं है, के लिए सरकारी निधि उपलब्ध नहीं होगी और सभी प्रशिक्षण/शैक्षणिक कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों का एनएसक्यूएफ-अनुरूप होना अनिवार्य होगा। तदनुसार, सभी कौशल मंत्रालयों/विभागों को अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों को एनएसक्यूएफ के साथ संरेखित करना आवश्यक है। दिनांक 13.11.2023 तक, एनएसक्यूएफ के साथ संरेखित और अनुमोदित कुल 4745 अर्हताएं सक्रिय हैं।

अनुबंध-I

राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढांचे (एसक्यूएफ़) के संबंध में दिनांक 04.12.2023 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 168 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

पीएलएफएस (2021-22) से अनुमानित प्रशिक्षण के क्षेत्र में औपचारिक व्यावसायिक/तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले 15-59 वर्ष की आयु के व्यक्तियों का प्रतिशत वितरण

क्र.सं.	प्रशिक्षण का क्षेत्र	प्रतिशत वितरण
1	एयरोस्पेस और विमानन	0.1
2	कृषि, गैर-फसल आधारित कृषि, खाद्य प्रसंस्करण	0.5
3	संबद्ध विनिर्माण- रत्न और आभूषण, चमड़ा, रबर, फर्नीचर और फिटिंग, छपाई	0.3
4	कारीगर/शिल्पकार/हस्तशिल्प/रचनात्मक कला और कुटीर आधारित उत्पादन	1.5
5	ऑटोमोटिव	2.1
6	सौंदर्य और कल्याण	3.3
7	केमिकल इंजीनियरिंग, हाइड्रोकार्बन, केमिकल और पेट्रोकेमिकल्स	0.6
8	सिविल इंजीनियरिंग-निर्माण, पाइपलाइन, पेंट और कोटिंग्स	2.8
9	इलेक्ट्रिकल, पावर और इलेक्ट्रॉनिक्स	9.8
10	स्वास्थ्य देखभाल और जीवन विज्ञान	6.1
11	आतिथ्य और पर्यटन	0.9
12	लोहा और इस्पात, खनन, अर्थमूविंग और इन्फ्रा बिल्डिंग	0.6
13	आईटी आईटीईज़	28.6
14	रसद	0.1
15	मैकेनिकल इंजीनियरिंग - पूंजीगत सामान, रणनीतिक विनिर्माण	3.6
16	मीडिया-पत्रकारिता, जनसंचार और मनोरंजन	0.6
17	कार्यालय एवं व्यवसाय संबंधी कार्य	4.0
18	सुरक्षा	0.2
19	दूरसंचार	0.5
20	कपड़ा और हथकरघा, परिधान	11.4
21	बच्चों की देखभाल, पोषण, प्री-स्कूल और शिशुगृह से संबंधित कार्य	2.6
22	अन्य	19.9
	योग	**100.0**

*****